64

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक : एफ 61 (5)SSAAT/विविध/2019/7386

दिनांक 04/03/20

कार्यालय आदेश,

मंत्रीमण्डल की आज्ञा डी./मं.म./49/2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे संबंधित कार्यकमों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण विभाग को समाप्त कर स्वतंत्र रूप से सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट–I के नियम 2(xvii) के अनुसार पूर्व में निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग को विभागाध्यक्ष घोषित किया हुआ था। सोसायटी के गठन उपरान्त इन नियमों के तहत निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी को विभागाध्यक्ष घोषित करने के प्रस्ताव वित्त (जीएण्डटी) विभाग को भिजवाने पर उनकी ID No. 121900104 दिनांक 29.01.2020 द्वारा यह अवगत कराते हुए कि वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा राजकीय विभागों हेतु ही विभागाध्यक्ष घोषित किये जाते हैं और सोसायटी का गठन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत होने के कारण विभागाध्यक्ष घोषित किये बिना ही पत्रावली वापस लोटा दी गई।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.2 के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रचलित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR), राजस्थान सेवा नियम (RSR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम (RTPP Act), 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम (RTPP Rules), 2013 एवं लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम (PWF&AR) सोसायंटी के किया कलापों के संचालन हेतु अंगीकृत (Adopt) किये गये हैं।

अतः सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.5 के कम में निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी को राजस्थान सरकार में प्रचलित समस्त नियमों के अन्तर्गत सोसायटी (SSAAT) के कार्य सम्पादन हेतु एतद् द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है। विभागाध्यक्ष सोसायटी की शासी निकाय/कार्यकारी समिति के निर्णयों/दिशा निर्देशों एवं राज्य सरकार में प्रचलित नियमों के प्रावधानान्तर्गत उचित कार्यवाही करेंगे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवंम पंचायती राज विभाग,
सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, SSAAT

65

दिनांक 04/03/2020

क्रमांक : एफ 61 (5)SSAAT/विविध / 2019/7387-7409

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT.
4. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, SSAAT.
5. निजी सचिव, श्रीमान प्रधान महालेखाकार, राजस्थान
6. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग,
7. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग,
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग,
9. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
10. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, SSAAT.
11. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
12. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग
13. निदेशक, SSAAT सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT
14. समस्त अधिकारीगण कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली

4/3/2020

(रामावतार शर्मा)
निदेशक एवं सदस्य–सचिव
कार्यकारी समिति, SSAAT